राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प0क्र0-6(30)राज-6/2001/पार्ट/ जयपुर, दिनांक:- 28.07.2005

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषय:- पट्टे पर दी गई भूमि को वारिसों के नाम दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि भू-राजस्व (सिनेमाओं एवं पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आवंटन संपरिवर्तन तथा नियमन), नियम 1978 के अन्तर्गत प्रार्थीयों को भूमि का आवंटन कर पट्टा प्रलेख निष्पादित किया पट्टाधारी का स्वर्गवास होने पर पट्टाधारी की ओर से पट्टाधारी के वारिसान ने वसीयत के आधार पर लीज वारीसान के नाम हस्तांतरित करने की अनुमति चाही।

राजस्व विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक:- प-6(30)राज-6/2001/पार्ट/13 दि0 22.7.04 में यह निर्देश दिये गये है कि मूल आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक उत्तराधिकारीओं का नाम लीज डीड में अकंन कर दिया जावें लेकिन मूल लीज डीड में पट्टाधारी के विधिक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी, निष्पादन प्रशासक-वारिस आदि सम्मलित हों तो ऐसी अवस्था में नई लीज डीड जारी करने की आवश्यकता नही हैं। मृतक के स्थान पर विधिक उत्तराधिकारियों का नाम अंकित किये जाने के पश्चात लीज डीड की शर्तों एवं अवधि में कोई परिवर्तन नही होगा तथा अकंन किये जाने के पश्चात यदि पूर्व में उक्त लीज डीड का पंजीयन नही किया गया हो तो उसका पंजीयन कर दिया जावें।

उक्त परिपत्र भू राजस्व (सिनेमाओं एवं पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन तथा नियमन) नियम 1978 के संबंध में भी लागू होगा।

28/7/2005.
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।